झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,बुधवार, दिनांक– 24, फाल्गुन,1944 (श0) / 15 मार्च, 2023 (ई0) को
झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
मुद्रित 'क' ~~33.~~	अ0सू0–09	श्री लोबिन हेम्ब्रम	PESA कानून लागू करना।	पंचायती राज	23.02.23
'ख' 37.	अ0सू0–15	श्री सरयू राय	ओभरलोडिंग रोकना।	परिवहन	25.02.23
~~157.~~	अ0सू0–16	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	आवास पूर्ण करना।	नगर विकास एवं आवास	27.02.23
~~158.~~	अ0सू0–18	श्री प्रदीप यादव	लक्ष्य को बढ़ाना।	ग्रामीण विकास	01.03.23
159.	अ0सू0–23	श्री राज सिन्हा	भवन निर्माण का औचित्य।	ग्रामीण विकास	06.03.23
~~160.~~	अ0सू0–19	डॉ0 लम्बोदर महतो	निर्माण कार्य प्रारंभ कराना।	पथ निर्माण	01.03.23
~~161.~~	अ0सू0–26	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	सड़क का पुनर्निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	06.03.23
~~162.~~	अ0सू0–21	श्री संजीव सरदार	निर्धारित राशि को बढ़ाना।	पंचायती राज	02.03.23
~~163.~~	अ0सू0–10	श्री बिरंची नारायण	मुआवजा देना।	परिवहन	23.02.23
~~164.~~	अ0सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह	राशि आवंटित करना।	पंचायती राज	21.02.23

नोट :– 'क'–33 अ0सू0–09,दिनांक–01.03.2023 को सदन द्वारा दिनांक–15.03.2023 के लिए स्थगित।
'ख'–37 अ0सू0–15,दिनांक–01.03.2023 को सदन द्वारा दिनांक–15.03.2023 के लिए स्थगित।

रॉंची,
दिनांक– 05 मार्च,2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–04/2020–1107/वि0स0,रॉंची,दिनांक– 12/03/23
प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 11.03.23
(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–04/2020–1107/वि0स0,रॉंची,दिनांक– 12/03/23
प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 11.03.23
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–04/2020–1107/वि0स0,रॉंची,दिनांक– 12/03/23
प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,,झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 11.03.23
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

अरूण

PESA कानून लागू करना ।

उत्तर मुद्रित

"क" 33. श्री लोबिन हेम्ब्रम--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि P-PESA 1996 एक केन्द्रीय कानून (Fedral Law) है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित ACT. के तहत सभी विभागों को नियमावली बनाकर संवैधानिक रूप में पंचायतों को सुदृढ़ करना था, जिस पर अभी तक कोई पहल नही की गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि P-PESA का विकेन्द्रीकरण कर राज्य में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्य नही है;

(4) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित ACT. के अनुसार नियमावली नही बनने से ग्राम स्वराज की अवधारणा को ठेस पहुँची है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार P-PESA के तहत नियमावली बनाकर राज्य में लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) NA

(4) NA

(5) पेसा नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है ।

---

(37)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न (स्थगित) संख्या आ०सू०–15 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, *माननीय स०वि०स०*	उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि खान निदेशक, झारखण्ड के आदेश संख्या–74/2021/63/M, दिनांक–24.12.2021 द्वारा आम्रपाली खदान में शिवपुर रेल साईडिंग तक कोयला परिवहन में अनियमितता की जाँच हेतु त्रि–सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा सदस्य थे ;	निदेशक खान, झारखण्ड, राँची को संबोधित जिला खनन पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक–201, दिनांक–27.02.2023 के आलोक में उत्तर स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि समिति के जाँच प्रतिवेदन की अनुशंसा की कंडिका–10 के अनुसार Overloading of vehicles moving to Shivpur siding should be immediately stopped within 7 days;	निदेशक खान, झारखण्ड, राँची को संबोधित जिला खनन पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक–201, दिनांक–27.02.2023 के आलोक में उत्तर स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि साल भर से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आम्रपाली खदान से शिवपुर रेलवे साईडिंग के बीच ओवरलोडिंग रोकने तथा ओवरलोडिंग के कारणों को दूर करने की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कोयला चोरी को बढ़ावा मिला है और सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है ;	जिला खनन पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक–201, दिनांक–27.02.2023 के द्वारा संसूचित प्रतिवेदन अनुसार समिति द्वारा जांचोपरान्त अनुशंसित सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यालय पत्रांक–488, दिनांक–17.05.2022 द्वारा परियोजना पदाधिकारी, आम्रपाली परियोजना सी0सी0एल0 एवं महाप्रबंधक, मगध–आम्रपाली एरिया को उपायुक्त, चतरा के माध्यम से कार्यालय पत्रांक–499, दिनांक–21.05.2022 द्वार पत्र प्रेषित है। उक्त के आलोक में परियोजना पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक–330, दिनांक–25.05.2022 के द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। ओवरलोडिंग के संदर्भ में प्रतिवेदित है कि आम्रपाली परियोजना से ट्रकों का वजन भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के मानक द्वारा निर्धारित किया गया है। उसका चालान भी निर्गत किया जाता है एवं समय–समय पर सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। आम्रपाली कोयला परियोजना क्षेत्र में कोलियरी प्रबंधन द्वारा किये जा रहे अनुपालन की औचक जाँच दिनांक–25.07.22 को अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया की अध्यक्षता में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा की गई जिसमें ओवर लोडिंग का मामला नहीं पाया गया है। कोलियरी क्षेत्र से कोयला लदे ट्रकों का ओवरलोडिंग की नियमित रूप से जांच जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा एवं जिला खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा समय–समय पर की जाती है। जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा से प्राप्त पत्र ज्ञापांक–171, दिनांक–24.08.2021, पत्र ज्ञापांक–162, दिनांक–17.08.21, पत्र ज्ञापांक–06, दिनांक–06.01.2022, पत्रांक–35, दिनांक–09.02.2022 एवं पत्रांक–112, दिनांक–17.06.2022 में प्रतिवेदित किया गया है कि क्रमशः कुल 9 वाहन, 11 वाहन, 17 वाहन, 17 वाहन एवं 19 वाहनों की जाँच की गई एवं दण्डात्मक कार्रवाई की गई।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि ओवरलोडिंग रोकने की कार्रवाई नहीं करने का क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या कार्रवाई हुई है?	विशिष्ट एवं प्रमाणित आरोप पाये जाने पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

14/03/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०आ०(वि०स०अ०सू०)–17 / 2023 283 /राँची,दिनांक 14·03·2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–500, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2023

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०आ०(वि०स०अ०सू०)–17 / 2023 283 /राँची,दिनांक 14·03·2023

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2023

सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

(157)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.03.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–16 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा नगर पंचायत सहित राज्य के सभी नगर पंचायतों में निवास करने वाले लोगों के लिए आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के लाभुकों द्वारा अपने घर तोड़ कर कार्य प्रारंभ किया गया है, परंतु प्रथम किश्त पाने वाले लाभुकों को दूसरी किश्त, दूसरी किश्त पाने वाले को तीसरी किश्त नहीं मिलने के कारण अबतक निर्माण कार्य लंबित रहने से वैसे लाभूकों को असुविधा हो रही है;	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत महागामा नगर पंचायत में कुल 1722 BLC आवास वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में स्वीकृत है, जिसमें 793 लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि, 647 लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि, 257 लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि एवं 29 लाभुकों को चतुर्थ किश्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत झारखण्ड राज्य के सभी निकायों में, समेकित रूप से अबतक कुल 1,82,541 BLC आवास स्वीकृत है, जिसमें 1,50,755 लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि, 1,27,717 लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि 1,08,183 लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि, 80,460 लाभुकों को चतुर्थ किश्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है। शेष BLC लाभुकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ किश्त की राशि नियमानुसार शीघ्र निर्गत कर दी जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आवास योजना के लाभुकों को आवास पूर्ण करने हेतु राशि निर्गत कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में वस्तस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–03 / वि०स० / अ०सू० / 06 / 2023 / न०वि०आ० 995 दिनांक– 14/03/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं० प्र०–652 / वि०स०, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – 18 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तरदाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या यह बात सही है मनरेगा के तहत् राज्य में मात्र 5 पशु शेड का निर्माण का लक्ष्य प्रति वर्ष प्रति पंचायत निर्धारित है ;	आशिंक स्वीकारात्मक। विदित हो कि मनरेगा अन्तर्गत पशु शेड की पुरानी योजनाएँ बड़ी संख्या में अपूर्ण रहने के बावजूद भी पशु शेड की नई योजनाओं की मांग बहुतायत में की जा रही थी। उक्त के मद्देनजर सम्यक विचारोपरांत मनरेगा के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रति पंचायत 05(पाँच) पशु शेड की योजनाओं की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर वैसे जरूरतमंद परिवार को दिये जाने का प्रावधान किया गया था, जिन्हें इस योजना की अत्यधिक आवश्यकता हो। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021–22 से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ अभिसरण कर मुख्यमंत्री पशु धन विकास योजना के तहत् भी लाभुको को मनरेगा के तहत् शेड योजना से लाभान्वित की जा रही है। मनरेगा अन्तर्गत विगत दो वर्षो में कुल 129554 पशु शेड की योजनाएँ ली गयी है, जिसमें 38931 योजनाएँ पूर्ण तथा 90623 योजनाएँ निर्माणाधीन है।
क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में 900 लक्ष्य के विरूद्ध 9383 पशु शेड की स्वीकृति का मामला उजागर हुआ है,	अस्वीकारात्मक। जिला पलामू अन्तर्गत विगत दो वर्षो में कुल 12772 पशु शेड की योजनाएँ ली गयी है, जिसमें 2515 योजनाएँ पूर्ण तथा 10257 योजनाएँ निर्माणाधीन है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रति पंचायत लक्ष्य को बढ़ाने एवं अनियमितताओं पर लगाम लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	i. उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। ii. विषयगत अनियमितता विभाग के संज्ञान में आने के उपरांत दोषियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई सम्बन्धी मामला प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में विभाग द्वारा पत्राचार किया गया है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –02 / आरोप(वि०स०प्र० / पलामू)–34 / 2023 / ग्रा०वि०(N) 386 राँची, दिनांक 14-3-23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 794 / वि०स० दिनांक 01.03.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/03/2023

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –02 / आरोप(वि०स०प्र० / पलामू)–34 / 2023 / ग्रा०वि०(N) 386 राँची, दिनांक 14-3-23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / उप सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/03/2023

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 15.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 23 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री राज सिन्हा माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के अलग–अलग जिलों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण की योजना बनी और इसके लिये टेण्डर जारी किये गए;	आंशिक स्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत अनुमान्य कार्य की परियोजनाओं (आंगनबाड़ी आदि) का कार्यान्वयन महात्मा गाँधी नरेगा के निहित प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा से पारित करते हुए निष्पादित की जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि 2020–21 में राज्य के अलग–अलग जिलों में प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण के लिये 6.53 लाख रूपये की दर तय करते हुए निविदा जारी की गई थी, इस राशि में 02 लाख रूपये विभाग द्वारा और बाकी राशि (4,53,512) रूपये मनरेगा मद से खर्च किया जाना था;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 6,53,512 रूपये प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के प्राक्कलन को विभाग द्वारा अनुमोदित कर प्रेषित की गयी थी, जिसमें 04 लाख 53 हजार 512 रूपये का व्यय मनरेगा मद से तथा शेष 02 लाख रूपये की राशि का व्यय अभिसरण के तहत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से किया जा रहा था। उक्त का क्रियान्वयन निर्गत महात्मा गाँधी नरेगा के मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता था।
3. क्या यह बात सही है कि 19 फरवरी, 2023 को मनरेगा आयुक्त सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर आंगनबाड़ी निर्माण कार्य का बजट 6.53 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपया करने का सूचना दी जिसमें 8 लाख रूपये ग्रामीण विकास और शेष राशि महिला, बाल विकास विभाग की ओर से दिये जाने का प्रावधान किया गया और बोकारो जिले में 18 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण के लिये (फरवरी–मार्च–2023) में निविदा जारी कर प्रति आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का बजट 15 लाख 400 रूपया तय किया गया;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत पूर्व की अधिसीमा 05 लाख रूपये को बढ़ाकर 08 लाख रूपये निर्धारित की गयी है तथा शेष 02 लाख रूपये की अभिसरण की राशि का व्यय महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्रावधानित है। उल्लेखित 18 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य बोकारो जिले के जिला खनिज फाँउडेशन ट्रस्ट (डी0एम0एफ0टी0) मद से किया जा रहा है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण में मनरेगा के निर्धारित मानक प्राक्कलन में अन्य मद यथा Boring with hand pump & Submersible set, Plumbing/Water supply works आदि को समाहित करते हुए कार्य का संशोधित प्राक्कलन निर्धारित करते हुए जिले के डी0एम0एफ0टी0 मद से कार्यान्वित किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसका क्या औचित्य है ?	

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13–056 / वि0 स0 / 2023 / ग्रा0 वि0 (N) 385 राँची, दिनांक 14-3-23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 1040 दिनांक 06.03.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.03.2023

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13–056 / वि0 स0 / 2023 / ग्रा0 वि0 (N) 385 राँची, दिनांक 14-3-23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ उप सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.03.2023

सरकार के अवर सचिव।

160

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में पथ निर्माण विभाग द्वारा 14 हजार करोड़ रूपये की लागत से 6 (छः) नए कोरिडोर फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से तीन सड़कें बोकारो जिले से गुजरेंगी ;	पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु High Speed Corridor के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। जिसके क्रम में अग्रिम योजना के तहत् सम्भाव्यता अध्ययन के निमित्त कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के निमित्त सम्भाव्यता अध्ययन, विभाग की सतत एवं सामान्य प्रक्रिया है। इस कोरिडोर के निर्माण हेतु प्रारंभिक चरण में संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। प्रतिवेदन के आधार पर कोरिडोर की सम्भाव्यता, उपयोगिता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता एवं महत्तावार परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।
2. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार द्वारा भारत माला परियोजना के तहत् राज्य में बनारस से कोलकाता तक जैनामोड़ से ओरमांझी भाया गोला फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए भू–अर्जन की प्रक्रिया काफी धीमी है;	प्रश्नगत् परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) से संबंधित है। प्रश्नगत तीन परियोजनाओं के सन्दर्भ में प्राधिकरण से निम्न जानकारी प्राप्त है :– **(i) वाराणासी से कोलकाता एक्सप्रेसवे** :– एक्सप्रेसवे का 202.50 कि0मी0 का खण्ड झारखण्ड राज्य के अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण कार्य छः पैकेज में किया जाना है। सभी छः पैकेज का निविदा आमंत्रण किया जा चुका है तथा परियोजना को 15 अप्रैल तक अवार्ड किये जाने की संभावना है। **(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–320 के बोकारो (जैना मोड़) से गोला तक का चार लेन परियोजना** :– इस खण्ड के चौड़ीकरण हेतु रियायतग्राही के साथ अनुबंध हो चुका है। **(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–320बी के गोला से ओरमाँझी तक का चार लेन परियोजना** :– इस खण्ड के चौड़ीकरण हेतु रियायतग्राही के साथ अनुबंध हो चुका है। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–320 के बोकारो (जैना मोड़) से गोला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–320बी के गोला से ओरमाँझी खण्ड का कार्य अप्रैल माह से प्रारंभ कर दिया जायेगा।
1. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पथों का भू–अर्जन की प्रक्रिया पूरा करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहती है, हाँ, तो, कबतक, नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में भू–अर्जन की कार्रवाई प्रगति में है। संबंधित उपायुक्तों को त्वरित भू–अर्जन की कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2023 (बजट) सत्र 1169(s) राँची/दिनांकः–13/03/23

प्रतिलिपि :– श्री रविशंकर प्रसाद, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–793, दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

13/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2023 (बजट) सत्र 1169(S) राँची/दिनांकः 13/3/23

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

13/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2023 (बजट) सत्र 1169(S) राँची/दिनांकः 13/3/23

प्रतिलिपि :– मो0 कौसर अली एवं श्री मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

13/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(161)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–26 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची स्थित कांटा टोली चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि फ्लाई ओवर का निर्माण के क्रम में दोनों तरफ की सड़क जर्जर हो गई है, जिसके कारण लोगों के आवागमन में कठिनाई एवं दुर्घटनायें हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान सड़क के Centreline में Foundation एवं Substructure निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा उक्त मार्ग में यातायात संचालन कार्यक्षेत्र से सटकर सड़क के Edge पर किया जा रहा है। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान कुछ पथांशों में सड़क की स्थिति खराब होने पर समय–समय पर मरम्मति कार्य की जा रही है ताकि कोई दुर्घटना न हो।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फ्लाई ओवर निर्माण स्थल के दोनों तरफ सड़क का पुनर्निमार्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	फ्लाईओवर निर्माण परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन Pires/RE Wall Approach Road की दोनों तरफ Service Roads का निर्माण कराया जाना है। उक्त योजना की कार्य समाप्ति 04.04.2024 निर्धारित की गई है। कार्यावधि के दौरान मुख्य फ्लाईओवर संबंधित संरचनाओं की कार्य प्रगति को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की पूरी लंबाई में सड़क का पुनर्निर्माण/निर्माण कराया जाना है। फ्लाईओवर संरचना निर्माण के साथ–साथ सम्पूर्ण परियोजना निर्धारित तिथि तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05/वि०मं०प्र०(अल्पसूचित)–02/2023 न०वि०आ० 993 राँची, दिनांक–14/03/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1071/वि०स० दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों क साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव।

162

श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–21 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पंचायत स्तर पर विकास निधि द्वारा मात्र 2.5 लाख रूपया तक का विकास कार्य स्थानीय लाभुक समितियों द्वारा किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सह ज्ञापांक 2236 दिनांक 17. 11.2021 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु स्थानीय लाभुक समिति की अधिसीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख रूपये कर दी गयी है।
(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत स्तर पर किये गए विकास कार्यो को 2.5 लाख रूपया में पूर्ण करना संभव नहीं हो पाता है और ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाता है;	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पंचायत स्तर पर विकास निधि द्वारा निर्धारित राशि को बढ़ाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–25/2023–513–/, राँची, दिनांकः–4.3.2023
प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 859 दिनांक 02.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.23
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–25/2023–513–/, राँची, दिनांकः–4.3.2023
प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

4.3.23
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–25/2023–513–/, राँची, दिनांकः–4.3.2023
प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4.3.23
सरकार के अवर सचिव ।

(163)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि पिछले बजट सत्र 2022 में सरकार ने घोषणा किया था कि राज्यभर में हिट एंड रन के सड़क दुर्घटना मामलों में प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये मुआवजा राशि दिया जाएगा;	–	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अब तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है और अब भी हिट एंड रन के मामलों में मृतक के परिजनों को 4 लाख रूपये मुआवजा राशि नहीं दी जा सकी है;	–	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में राज्यभर में हिट एंड रन के कारण हुए मौत पर उनके परिजनों को अपने पूर्व की घोषणा के आलोक में 4 लाख रूपये मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	–	वस्तुस्थिति यह है कि परिवहन विभागीय (लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा) के अधिसूचना गजट सं०–185, दिनांक–21.04.2022 में वर्णित प्रावधानांतर्गत हिट एण्ड रन संबंधी मृत्यु के मामले में पीड़ितों को 02 (दो) लाख रूपये तथा घायल व्यक्तियों के मामले में 50,000 (पचास हजार) रूपये का मुआवजा भुगतान किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुपालन में दिनांक–01.04.2022 से 31.12.2022 तक राज्य में कुल 194 हिट एवं रन सड़क दुर्घटना मामलों से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान किया गया है।

27/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–15/2023 242 /राँची,दिनांक 27.02.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–317, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

15.03.23 का [illegible] (84) 164

श्री बिनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–02 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पंचायत चुनाव के बाद प्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण किये हुए 09 माह हो चुके हैं;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि 09 माह के पश्चात् भी पंचायतों को 15वें वित्त आयोग एवं अन्य मदों से विकास हेतु राशि अब तक नहीं आवंटित हुई है;	अस्वीकारात्मक। 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनाबद्ध अनुदान मद अन्तर्गत दिनांक 21.06.2022 को एवं आबद्ध अनुदान मद अन्तर्गत दिनांक 19.09.2022 को राशि विमुक्त की गई है, जिसे त्रिस्तरीय पंचायतों को ससमय आवंटित किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की गति को तेज करने हेतु पंचायतों को शीघ्र राशि आवंटित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–12/2023––––416––––/, राँची, दिनांकः–27.02.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 178 दिनांक 21.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–12/2023––––416––––/, राँची, दिनांकः–27.02.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

27-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–12/2023––––416––––/, राँची, दिनांकः–27.02.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/22.02.2023

E:/Anil Office work/Assembly related/Assembly questin Answer.doc